# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन(राज.)

| प्रार्थीगण | ब | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| छीगनसिंह पुत्र लिछमणसिंह जाति राजपूत निवासी दौलतपुरा वगैरह | नाम | सुल्तानसिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपूत निवासी दौलतपुरा वगैरह |

राजस्व प्रार्थना–पत्र = प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 2, 4 सी.पी.सी. 1908

राजस्व प्रार्थना–पत्र नम्बर = 49 /2024 GCMS No.2024/ 111

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए |
|---|---|---|
| 9/5/2024 | प्रार्थी वकील द्वारा यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 2, 4 सी.पी.सी. 1908 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। जरिये नोटिस होकर पत्रावली दिनॉक 06/06/2024 को पेश हो।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>कुचामन सिटी ( डीडवाना-कुचामन ) | |
| 6/6/2024 | वकील प्रार्थी के B.H. 549 प्रार्थना पत्र अ.आ. 151 CPC प्रस्तुत था पी.ए. के सुनवाई पश्चात दिनांक 8/7/2024 को पेश हो। | |
| 8/07/2024 | वकील प्रार्थी 549 प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी एवं प्रस्तुत नजीर सुप्रीम कोर्ट 1 व्यवहार के प्र.सं. 14 [illegible] अध्ययन किया, प्रकरण के अंकित किया है कि अप्रार्थीगण को बिना पूर्व आज्ञप्ति बिना अपील प्रार्थी किसी प्रार्थना पत्र दायर किया था सकता है आज्ञप्ति पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र order 9 Rule 2, 4 CPC स्वीकार किया जाता है साथ ही पुनः [illegible] आदेश दिये जाते है पत्रावली [illegible] के साथ होकर [illegible]<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>कुचामन सिटी ( डीडवाना-कुचामन ) | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.09.09 16:13:42 IST
Reason: SelfAttested